

न्यायालय, उपखण्ड अदिकारी एवं पदेन श्री अभिलेख अदिकारी, शाहपुरा

(जिला-भीलवाड़ा) राज0

पीठस्थान अदिकारी : श्री सुनील कुमार शीमा, आर0ए0एफ0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 71/2024
 जी0सी0एम0एफ0 संख्या : 2024/101

अनवान

लक्षणादास पुत्र राजाराम दास त्यागी निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा

-प्रार्थी

बनाम

- 1- कैलाश पिता मनया वमार निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
- 2- नाना पिता देवा वमार निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
- 3- लार्द पिता किराना वमार निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
- 4- दयाल पिता भीली वमार निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
- 5- दलैल सिंह पुत्र कानासिंह राजपूत निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
- 6- महावीर सिंह पुत्र श्रीक सिंह राजपूत निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
- 7- श्री. शाहिकाला पत्नी रमेश कुमार शर्मा निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
- 8- जगदीश पिता देवी वमार निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
- 9- बंधी पिता नार्थ धाकड़ निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
- 10- कार्तिसिंह पुत्र कानासिंह राजपूत निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
- 11- भगवान सिंह पुत्र देववर सिंह राजपूत निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा

-विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान श्रृं-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजु : 22.03.2024

उपस्थित :-

श्री विरेंद्र पत्रिया : अधिवक्ता प्रार्थी

विपक्षीगण संख्या 1, 2 से 11 एकपक्षीय

::- निर्णय :-

दिनांक : 29.07.2025

1. वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान श्रृं-राजस्व अधिनियम, 1956, प्रार्थी की खातेदासी की शीमा में खसरा नम्बर 1150 रकबा 0.14 है0, 871 रकबा 1.72 है0, 882 रकबा 0.38 है0 कुल किला 4 रकबा 2.50 है0 श्रृंमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमावदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पक्षीय है जो आधे दिन फसल काटते समय एवं मंडों की घास काटते समय मौके पर शीमा का लेकर विवाद करते है। प्रार्थीगण दिनांक 15.12.2023 को अपनी आराजियात पर गये ती विपक्षीगण धारा शीमा को लेकर विवाद किया गया। अतः वाद हेतु तारीख 15.12.2023 से पैदा होकर जारी है।
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण की जसिये नोटिस वास्त जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामिनी विपक्षीगण संख्या 1, 2 से 11 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध दिनांक 19.06.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्द गई। एवं विपक्षीगण सं0 2 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से दिनांक 29.07.25 को उनके विरुद्ध कार्यवाही रूपा की गई।
3. प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदासी श्रृंमि राजस्व ग्राम शिवपुरी प0ह0 शिवपुरी श्रृं0अ0निरीक्षक आमली कला तहसील शाहपुरा की शीमा में खसरा नम्बर 1150 रकबा 0.14 है0, 871 रकबा 1.72 है0, 873 रकबा 1.26 है0, 882 रकबा 0.38 है0 कुल किला 4 रकबा 2.50 है0 श्रृंमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमावदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात के चारों तरफ प्रमाण में नकल जमावदी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ शीमा के मुरतकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काइल करने, काइल नाम प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने के दरम्यान पक्षकारान में आपस में शीमा संबंधी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदासी आराजियात की परखरगही कराने हेतु आवेदन पेश किया है।

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा



(सुनील कुमार शीमा)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में
प्रतिनिधि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भूजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगोदी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

निर्णय आज दिनांक 29-07-2025 को सरे इजलास सुनाया गया

पत्रावली इसी कदर निर्मित होकर संख्या से एक कम होकर दायित्व दफतर ही।
हेतु सक्षम न्यायालय में याचनी की कर अनुरोध प्राप्त करने हेतु पाठ किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।
अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। प्रकरण में प्रथमतः आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका का परिवर्तन नहीं किया जाए तथा किसी न्यायालय का स्थान होने की दशा में स्थान की अक्षरः पालना कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। दौरान कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार आराजी का मौके पर माप कराते हुए प्राणी की आराजी का प्राणी के व्यय पर पत्थरगोदी करवाए। वक्त रकबा 0.14 है, 871 रकबा 1.72 है, 873 रकबा 1.26 है, 882 रकबा 0.38 है एवं इससे लगी विपक्षीय की विवर्षी 4080 निरीक्षक आमली कला तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 1150 राजस्थान में राजस्व अधि. 1956 के प्राधानों का अनुपालन करते हुए प्राणी के खातेदारी की आराजी राजस्व ग्राम 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि वे धारा 111 एवं 128 अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्राणी एवं प्राणी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान में राजस्व अधिनियम --:आदेश:-

4. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व संलग्न दस्तावेजाल का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया जाकर विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है, जो पत्रावली में संलग्न विवाहित भूमि की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्राणी वादास्त आराजी खसरा नम्बर 1150 रकबा 0.14 है, 871 रकबा 1.72 है, 873 रकबा 1.26 है, 882 रकबा 0.38 है कुल किला 4 रकबा 2.50 है 0 का अतिरिक्त खातेदार है, और अतिरिक्त खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगोदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्राणी हकदार प्रतीत होता है।